अति तत्काल

सं.2/3/2025-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

कर्तव्य भवन-3, नई दिल्ली
दिनांक 07अगस्त, 2025

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और सभी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक

विषय: 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में अनुदेश

महोदय/महोदया,

प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस भव्यता, उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी, स्वतंत्रता दिवस को समुचित ढंग से मनाया जाएगा।

2. दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित कार्यक्रम होंगे:

(i) लाल किले पर समारोह जिसमें सशस्त्र बलों और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना और 21 तोपों की सलामी, भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा, प्रधानमंत्री का अभिभाषण, प्रधानमंत्री के अभिभाषण के तुरंत बाद राष्ट्रगान और अंत में तीन रंगों के गुब्बारे उड़ाना शामिल हैं।

(ii) राष्ट्रपति भवन में "एट होम" समारोह।

3. राज्य की राजधानियों/जिला मुख्यालयों/उपमंडल/प्रखण्ड/ग्राम पंचायत/गांवों आदि में स्वतंत्रता दिवस समारोह/राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आयोजन प्रातः 09:00 बजे के बाद शुरू किया जाना चाहिए।

4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन निम्नानुसार किया जाए:-

(क) राज्य स्तर पर

मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना; राष्ट्रगान; राज्य पुलिस/अर्धसैनिक बलों/ होमगार्ड/ एनसीसी/ स्काउट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की प्रस्तुति; मुख्यमंत्री द्वारा जनता को संबोधन और उसके बाद राष्ट्रगान।

(ख) जिला स्तर पर

मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना; राष्ट्रगान; राज्य पुलिस कर्मियों/ होमगार्ड/ एनसीसी/ स्काउट्स द्वारा परेड; उसके बाद मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जनता को संबोधन और राष्ट्रगान।

...2/-

(ग) उपमंडल स्तर/प्रखण्ड स्तर पर

उपमंडल मजिस्ट्रेट/उपमंडल अधिकारी/प्रखण्ड विकास अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना; राष्ट्रगान और उसके बाद उपमंडल मजिस्ट्रेट/उपमंडल अधिकारी/प्रखण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनता को संबोधन और राष्ट्रगान।

(घ) पंचायत मुख्यालय/ग्राम स्तर पर

सरपंच/ग्राम प्रधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना; राष्ट्रगान और उसके बाद सरपंच/ग्राम प्रधान द्वारा जनता को संबोधन और राष्ट्रगान।

5. <u>प्रमुख स्थानों पर स्वच्छ भारत अभियान</u>

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले के सबसे प्रमुख स्थान की पहचान करें और स्वैच्छिक नागरिक सहयोग द्वारा इसे स्वच्छ रखने के लिए पंद्रह दिन/एक महीने का अभियान चलाएं। इस प्रयास में स्कूली छात्रों, एनएसएस, My भारत, एनसीसी, युवा संगठनों और सामाजिक समूहों को जोड़ा जा सकता है।

(ख) पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के प्रसार के लिए सरकारी विभागों और शैक्षिक संस्थानों द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए, ताकि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने में योगदान दिया जा सके।

6. <u>एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम</u>

गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अनुरूप, स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राज्य की राजधानी/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ खानपान/सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि की योजना बनाई जा सकती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पांच अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भागीदारी के लिए आमंत्रित करना चाहिए। ये अतिथि राज्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए खानपान/सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के लिए अपने दल भेज सकते हैं ताकि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी समझ और संबंधों को बढ़ाया जा सके।

7. एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए गणमान्य व्यक्तियों के भाषण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से देशभक्ति/राष्ट्रीय एकता के संदेशों और गीतों के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रयास किए जाएं।

...3/-

8. 'एट होम' समारोह

(क) राज्यपाल /उपराज्यपाल निवास में 'एट होम' समारोह सायंकाल (सांय 18:00 बजे के बाद) शुरू किया जा सकता है। इस समारोह में सामान्य प्रोटोकॉल आधारित आमंत्रितों के अलावा अलग-अलग श्रेणी के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, इस अवसर पर निम्नलिखित सांकेतिक श्रेणियों से संबंधित अतिथियों को आमंत्रित किया जा सकता है: -

- दिव्यांगजन
- विभिन्न क्षेत्रों के सफल व्यक्ति
- समाज के लिए अनुकरणीय योगदान देने वाले लोग, जिनमें कोविड के दौरान योगदान करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
- पर्यावरण-योद्धा, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले लोग।
- स्वच्छाग्रही।
- प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उल्लिखित व्यक्ति।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पद्म पुरस्कार विजेता।
- शहीदों के निकटतम परिजन।
- ओलम्पिक और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अन्य खेलों के प्रतिभागी/विजेता।
- असाधारण शिक्षक/शिक्षाविद्।
- फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता।
- बहादुरी पुरस्कार विजेता बच्चे।
- महिला सरपंच आदि।
- अव्वल आने वाले छात्र
- सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता/नवान्वेषक

(ख) कम से कम 25-50 आमंत्रण ऐसे सफल लोगों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। ऐसे आमंत्रितों के नामों की घोषणा पहले ही कर दी जानी चाहिए ताकि आमंत्रित लोग इस अवसर के लिए तैयारी कर सकें।

(ग) अधिकांश लोग विभिन्न श्रेणियों के तहत विशेष आमंत्रितों की श्रेणी के अंतर्गत हो सकते हैं। हर साल नए सिरे से आमंत्रित लोगों की सूची तैयार करने की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अवसर दिया जा सके। यह विचार किया जा सकता है कि एक व्यक्ति को एक बार ही आमंत्रण मिले।

(घ) राज्यपाल/उपराज्यपाल निवास में बैंड पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।उसे देशभक्ति के गीत बजाने चाहिए, न कि केवल फिल्मी गाने। स्कूली बैंडों के बीच एक प्रतियोगिता शुरू की जानी चाहिए, जिसके विजेताओं को 'एट होम' समारोह के दौरान राज्यपाल निवास में प्रदर्शन करने का मौका मिले।

(ड.) राज्यपाल/उपराज्यपाल 'एट होम' के लिए निमंत्रण कार्ड इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि आमंत्रित लोग इसे जीवन में एक बार आने वाले अवसर मानते हुए स्मृति चिह्न के रूप में जीवन भर के लिए संजोकर रखें।

(च) यदि राज्य द्वारा कोई श्रेष्ठ नवान्वेषण किया गया है तो उसे 'एट होम' समारोह के दौरान प्रदर्शित किया जा सकता है।

9. देश भर में बैंड का प्रदर्शन:

स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 के दौरान नागरिकों के बीच देश भक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए, देश भर में पहली बार लगभग 142 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रदर्शन आयोजित किए जायेंगे। स्थानीय प्रशासन को इसके लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया जा सकता है।

भवदीय,

(कमलेश रबिदास)
अवर सचिव, भारत सरकार

सं.2/3/2025-पब्लिक

दिनांक 7 अगस्त, 2025

<u>सूचनार्थ प्रति:-</u>

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल/ उपराज्यपाल के सचिव
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. राष्ट्रपति सचिवालय
4. उप राष्ट्रपति सचिवालय
5. प्रधानमंत्री कार्यालय
6. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
7. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
8. मंत्रिमंडल सचिवालय
9. राज्य सभा सचिवालय
10. लोक सभा सचिवालय
11. नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
12. भारत का निर्वाचन आयोग
13. संघ लोक सेवा आयोग
14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
15. केंद्रीय सतर्कता आयोग
16. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
17. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
18. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
19. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
20. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
21. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
22. राष्ट्रीय महिला आयोग
23. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
24. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली
25. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली
26. दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
27. प्रशासन III अनुभाग, गृह मंत्रालय

(कमलेश रबिदास)
अवर सचिव, भारत सरकार